

# बिहार लोक सेवा आयोग 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना—800001

विज्ञापन सं--27/2023, शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 (उनहत्तर हजार सात सौ छः) पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुल 916 (नौ सौ सोलह) पदों पर नियुक्ति के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुल 1401 (चौदह सौ एक) पदों को समाहित किया जाता है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुल 1401 (चौदह सौ एक) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत है:—

# ा. (क) कक्षा 1-5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल-262 पद

			¥.	कोटि								दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				
क्र. सं.	विषय	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार / बहुदिय्यांग (MD)	सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी		
			<b>35% क्षै</b> ति	ज आरक्षण	न के तहत	<b>महिलाओं</b>	हेतु आर्रा	क्षेत पद								
	सामान्य	105	26	31	47	42	03	08	262	03	03	02	02	05		
1.	विषय	38	07	10	17	16	01	l	89							

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:-- समूह 'ग' (अराजपत्रित)

वेतनमानः मूल वेतन 25,000 / - एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते (महँगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता)

परीक्ष्यमान अवधि:- 02 वर्ष

## (ख) कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल-277 पद

	विषय		1		को	टि		दि	पद	स्वतंत्रता सेनानी				
क्र. सं.		अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार / बहुदिव्यांग (MD)	के पोता / पोती / नाती / नतीनी
			35% क्षेति	ज आरक्षण	ग के तहत	<b>महिलाओं</b>	हेतु आर्रि	क्षेत पद						
1.	अंग्रेजी	12	03	04	05	05	01	01	31	01	00	00	00	01
1.	GINOII	04	01	01	02	02	00		10					
2.	हिन्दी	12	03	04	05	05	01	01	31	01	00	00	00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
3.	संस्कृत	12	03	04	05	05	01	01	31	01	00	00	. 00	01
		04	01	01	02	02	00		10					
4.	विज्ञान	12	03	04	05	05	01	01	31	01	00	00	00	01
<del>-</del>	199111	04	01	01	02	02	00		10					
5.	गणित	12	03	04	05	05	01	01	31	01	00	00	00	01
<u>.</u>		04	01	01	02	02	00		10					
6.	सामाजिक	12	03	04	05	05	01	01	31	01	00	00	00	01
<u> </u>	विज्ञान	04	01	01	02	02	00		10					
<b>7</b> .	शारीरिक	12	03	04	05	05	01	01	31	01	00	00	00	01
7.	शिक्षा	04	01	01	02	02	00	1	10					
8.	संगीत /	11	03	03	05	05	01	01	29	01	00	00	00	01
J.	कला	04	01	01	02	02	00	]	10					
9.	क्रम्यारच	12	103	04	05	05	01	01	31	01	00	00	00	01
<b>5</b> .	कम्प्यूटर	04	01	01	02	02	00	1	10					

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- समूह 'ग' (अराजपत्रित)

वेतनमानः— मूल वेतन 31,000 / – एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर देय भत्ते (महँगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता)

परीक्ष्यमान अवधि:- 02 वर्ष

Qu

# (ग) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल-855 पद

		कोटि									[	हितु आरक्षित पद		स्वतंत्रता सेनानी
क्र. सं.	विषय	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	<b>अनुसूचि</b> त जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार / बहुदिव्यांग (MD)	के पोता / पोती / नाती / नतीनी
	7		35% क्षेति	ज आरक्षण	ा के तहत	<b>महिलाओं</b>	हेतु आर्ग	सत पद						
1.	अंग्रेजी	36	09	11	16	14	01	03	90	01	01	01	01	02
		13	02	04	05	. 05	00		29					
2.	हिन्दी	36	09	11	16	14	01	03	90	01	01	01	01	02
	10 1.	13	02	04	05	05	00		29			<u> </u>	ļ	
3.	गणित	19	04	05	08	07	01	01	45	01	01	00	00	01
J.		07	01	02	03	03	00		16			<u> </u>	<u> </u>	
4.	भौतिकी	19	04	05	08	07	01	01	45	01	01	. 00	00	01
٠.	शास्त्र	07	01	02	03	03	00		16		$oxed{oxed}$			
5.	रसायन	19	04	05	08	07	01	01	45	01	01	00	00	01
<b>5</b> .	शास्त्र	07	01	02	03	03	00		16					
_	वनस्पति विज्ञान	19	04	05	08	07	01	01	45	01	01	00	00	01
6.		07	01	02	03	03	00		16	]				
	जीव	19	04	05	-08	07	01	01	45	01	01	00	00	01
7.	विज्ञान	07	01	02	03	03	00	1	16	1				
	कम्प्यूटर	19	04	05	08	07	01	01	45	01	01	00	00	01
8.		07	01	02	03	03	00	1	16	1				
		19	04	05	08	07	01	01	45	01 0	01	00	00	01
9.	इतिहास	07	01	02	03	03	00	1	16					
		19	04	05	08	07	01	01	45	01	01	00	00	01
10.	भूगोल	07	01	02	03	03	00	1	16					
	समाज	19	04	05	08	07	01	01	45	01	01	00	00	01
11.	शास्त्र	07	01	02	03	03	00		16	1				
	राजनीतिक	19	04	05	08	07	01	01	45	01	01	00	00	01
12.	शास्त्र	07	01	02	03	03	00		16	1				
	गृह	19	04	05	08	07	01	01	45	01	01	00	00	01
13.	विज्ञान	07	01	02	03	03	00	1	16	1	] [			
		19	04	05	08	07	01	01	45	01	01	00	00	01
14.	मनोविज्ञान	07	01	02	03	03	00		16	1				
	١,	19	04	05	08	07	01	01	45	01	01	00	00	01
15.	अर्थशास्त्र	07	01	02	03	03	00	•	16	1	[	1		•
	1.	19	04	05	08	07	01	01	45	01	01	00	00	01
16.	लेखा	07	01	02	03	03	00	•	16	1		1		•
	व्यवसायिक	19	04	05	08	07	01	01	45	01	01	00	00	01
17.	अध्ययन	07	01	02	03	03	00	٠,	16	"	"	""	"	"
	जञ्जनग	U	U 1	U2		U3		l	10	L			J	1

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग:- समूह 'ग' (अराजपत्रित)

वेतनमानः - मूल वेतन 32,000 / - एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते (महँगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता)

परीक्ष्यमान अवधि:- 02 वर्ष

# (घ) प्रधानाध्यापक के लिए कुल-07 पद

			कोटि									दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद				
क्र. सं.	पद .	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछ-इा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला (RF)	कुल पद	दृष्टि बाधित (VI)	मूक बधिर (DD)	अस्थि दिव्यांग (OH)	मनोविकार / बहुदिच्यांग (MD)	सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी		
			35% क्षैति	ज आरक्षण	ग के तहत	महिलाओं	हेतु आर्रि	त्रत पद								
1.	प्रधानाध्यापक	03	01	01	01	01	00	00	07	00	00	00	00	00		
		01	00	00	00 •	00	00		01	l		<u></u>				

श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्गः— समूह 'ग' (अराजपत्रित) वेतनमानः— मूल वेतन 35,000/— एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर देय भत्ते (महँगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता) स्थायी

परीक्ष्यमान अवधि:- 02 वर्ष

- नोट:-(i) विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट-बढ़ सकती है।
  - (ii) अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है।
- 2. विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत् होंगी :--
  - (i) भारत का नागरिक हो।
  - (ii) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय—समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो।
  - (iii) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो यथा-
    - (i) कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए CTET Paper-I अथवा BTET Paper-I
    - (ii) कक्षा 6 से 10 के विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET Paper-I एवं
    - (iii) कक्षा 11 से 12 के विद्यालय के अध्यापकों एवं कक्षा 6 से 10 के कम्प्यूटर विषय के लिए STET Paper-II में उत्तीर्ण हों।
    - (iv) प्रधानाध्यापक के लिए STET Paper-II (कक्षा 11 से 12 के विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्णित विषय में) उत्तीर्ण हों।

परन्तु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।

शिक्षा विभाग के पत्रांक—582, दिनांक—17.06.2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि CTET अभ्यर्थियों के लिए BTET, 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जायेगा।

विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो सम्प्रति निम्नवत् है:--

## 3. (A) कक्षा 1-5 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:-

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2002, के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अभाता

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा ४ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बीoएलoएडo)

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो;

परन्तुक-

कक्षा 1 से 5 तक लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(B) सामान्य विषयों के लिए कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताः

विनिर्दिष्ट विषय / विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सिहत किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किंसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सिहत स्नातक/स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय—सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता

Qu.

के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम—2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

### अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की चार वर्षीय उपाधि।

(C) शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 6—10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:— एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि।

#### अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सिहत शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर—विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता।

#### अथवा

45 प्रतिशत अंकों सिहत स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर—विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता।

#### अथवा

प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक / कोच)—45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

#### अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक।

#### अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक। अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद / खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन्॰सी॰सी॰ ('सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो।

#### अथवा

शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बी.पी.एड. पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)

## अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद / खेलों / ऐथलेटिक्स में राज्य / विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसेरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/एन॰सी॰सी॰ ('सी' प्रमाण पत्र)का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकुद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।

## अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोंचिन, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सिंहत स्नातक।

#### तथा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी॰पी॰एड॰) अथवा इसके समतुल्य।

(D) संगीत विषय के लिए कक्षा 6—10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:—
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से
संगीत शिक्षा में स्नातक—उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार
का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।



(E) लिलतकला विषय के लिए कक्षा 6—10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:—न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से लिलत कला विषय में स्नातक—उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

परन्तुकः-

- किक्षा 06 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- (F) कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतू विषय समूह निम्नवत् होगा :
  - (i) <u>गणित</u> :- शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या—956, दिनांक—29.05.2023 के आलोक में ''स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी / इलेक्ट्रोनिक्स / कम्प्यूटर साइंस / रसायन विज्ञान / सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो''।
    - ♦ शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या—1010, दिनांक—08.06.2023 के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साईंस में बी₀सी₀ए₀ की योग्यता को सम्मिलित माना जायेगा।
  - (ii) विज्ञान :— स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणि विज्ञान), वनस्पित विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पिठत हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो।
    - ❖ शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या—1154, दिनांक—21.06.2023 के आलोक में जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र के अलावा Biotechnology/Microbiology को भी समाहित किया जाता है।
  - (iii) सामाजिक विज्ञान :— स्नातक स्तर पर सहायक विषय / प्रतिष्ठा विषय के अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो।
    - सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में किसी दो विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है, का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं।
    - शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या—1154, दिनांक—21.06.2023 के आलोक में सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जायेगा।
  - (iv) भाषा से संबंधित विषय :- माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (Hons.)/आनुषांगिक (Subsidiary) विषय के रूप में पठित हो।
- (G) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताः

विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर(अथवा इसके समतुल्य) तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय—सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम—2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सिहत विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीoएoएडo/बीoएससीoएडo।

अथवा

न्यून्तम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 03 वर्षीय एकीकृत बी०एड०— एम०एड०। परन्तुक-

कक्षा 11 से 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(H) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत् होगा :

Posts (Subject)	Subjects at Post Graduate Level
Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics
Chemistry	Chemistry/Biochemistry
Economics	Economics/Applied Economics/Business Economics
Commerce	Master's Degree in commerce. However, holder of Degree of M.Com in applied/Business Economics shall not be eligible.
Botany/Zoology	शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या—1010, दिनाक—08.06.2023 के आलोक में Botany/Zoology/Life Science/Bio Science/Genetics/Micro Biology/ Biotechnology/Molecular Biology/Plant Physiology.
Math	Mathemetics/Applied Mathemetics

# (I) कक्षा 6 से 10 एवं कक्षा 11 से 12 तक में कम्प्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताः

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त उपाधि:-

डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइ०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०ई० (कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०) या बी॰टेक॰ (कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइ०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी०ई० या बी०टेक० की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस में स्नातकोत्तर/एम०सी०ए० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस में स्नातक/बी०सी०ए० या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अथवा

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'सी' तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

अथवा

एमoसीoएo का तीन वर्षीय कोर्स (6 सेमेस्टर)।

परन्तुक–

- (i) कक्षा 11 से 12 तक के लिए कम्प्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- (ii) कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीoएडo की योग्यता अनिवार्य नहीं है।
- (J) कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संकाय/विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के संबंध में:—

वाणिज्य संकाय में तीन विषय क्रमशः EPS (उद्यमिता), Accountancy (लेखाशास्त्र) एवं Business Study (बिजनेश स्टडी) में नियुक्ति की जायेगी। इस हेतु वाणिज्य (Commerce) में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त तीन विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। परन्तु EPS (उद्यमिता) अथवा Accountancy (लेखा) अथवा Business Study (बिजनेश पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे।



- (K) विद्वालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध:—
  - (i) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा।
  - (ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
  - (iii) NCTE अधिनियम, 1993 के प्रवृत होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCTE अधिनियम के प्रवृत होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- (L) स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण —मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू /फारसी /अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य मानी जाएगी।
- (M) स्नातक के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण —मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की उपाधि उर्दू / फारसी / अरबी विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा प्रदत्त शास्त्री की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी।
  - ऐशिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

## (N) प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत् होगी:-

- (i) भारत का नागरिक हो।
- (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना/बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जायेगा।
- (iii) मान्यूंता प्राप्त संस्था से बी.एड. / बी.ए.एड. / बी.एससी.एड. उत्तीर्ण हो।
- (iv) बिहार सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर आहूत "शिक्षक पात्रता परीक्षा" में उत्तीर्ण। परन्तु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।

## (v) अनुम्वः-

- (क) राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा।
- (ख) भी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. / बी.एस.ई.बी. से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा।
- (ग) र्िज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 08 वर्ष की लगातार सेवा।
- (घ) सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. / बी.एस.ई.बी. से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा।
- उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जो बाद की तिथि हो, के आधार पर की जाएगी।

## 4. आयु सीमा:--

- (i) सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट—ऑफ—तिथि 01.08.2023 होगी।
- (ii) किक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कट—ऑफ—तिथि 01.08.2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 01.08.2023 को 21 वर्ष है।
- (iii) उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरूष)— 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला— 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)— 42 वर्ष।

- (iv) प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कट—ऑफ—तिथि 01.08.2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 31 वर्ष एवं अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरूष) 47 वर्ष, पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)—50 वर्ष, अनारक्षित (महिला)—50 वर्ष तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)—52 वर्ष।
- (v) वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। -----
- (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—2374, दिनांक—16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—22218, दिनांक—12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक), जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा / संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमित तमी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपमोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चूके हैं।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—22218, दिनांक—12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अविध में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सिम्मिलत होने के लिए अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—962, दिनांक—22.01.2021 के अलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक— 2447, दिनांक— 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अविध के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- <u>चयन प्रक्रियाः</u> लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के आधार पर।
  - लिखित परीक्षा:-
  - (i) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे:--

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
1.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग—I-30, भाग—II-40 एवं भाग—III-80	02.30 ਬੰਟੇ	150	कक्षा 1—5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए  > यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा— भाग—I, भाग—II एवं भाग—III  > भाग—I— भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा।  > भाग—II—सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं।  > भाग—III— सामान्य विषय का पत्र होगा।  > उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।  > सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।
2.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन	150 भाग—I-30, भाग—II-40 एव भाग—III-80	02.30 घंटे	150	कक्षा ६ से 10 के विद्यालय अध्यापकों के लिए  > यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा— भाग—I, भाग—II एवं भाग—III  > भाग—I- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत

पत्र	विषय	1	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
	एवं विषय	संख्या			अनिवार्य होगा।  > भाग—II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं।  > भाग—III- कक्षा 6 से 10 के विद्यालय अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:— हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, समाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत/कला एवं कम्प्यूटर। संगीत/कला विषय के लिए संगीत एवं लितकला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जायेगी।  > उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/ NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार होती के किन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के
3.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग—I-30, भाग—II-40 एव भाग—III-80	02.30 ਬੰਟੇ	150	कक्षा 11—12 के विद्यालय अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापक के लिए  > यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा— भाग—I, भाग—II एवं भाग—III  > भाग—I— भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा।  > भाग—II— एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यिमक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आदोलन एवं भूगोल शामिल हैं।  > भाग—III— कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापक के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना हैः— हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, मौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, लेखा (एकाउंटेसी) एवं व्यवसायिक अध्ययन।  > उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।  > सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।

भाषा (अर्हता) भाग–I Qualifying होगा।

• उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। मेघा सूची:—

विद्यालय अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापक के लिए मेधा सूची का निर्धारणः─ लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग─II एवं III) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय (भाग─III) का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा (अईता) (भाग─I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा─क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अईता) (भाग─I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा

<sup>•</sup> सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जानेवाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक (Negative Marking) नहीं होगा।

उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

- \* "कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विमाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या—2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक 01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जायेंगे" के साथ निम्नलिखित संशोधन "परन्तु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक (निम्नतर पूर्णांक में) अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकतानुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा" को सिम्मिलित किया जाता है।
  - अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुये हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं।

## साक्षात्कार:-

इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

## > अधिमानताः-

- प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता (Priority) अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अईता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है।
- मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जायेगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात् शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसपर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवंदन में करना होगा।

## 6. अन्य निर्देश:-

- (i) आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरान्त प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाय, की अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।
- (ii) आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व–घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जायेगा।
- नोट:-(i) आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, अनुभव, शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधासूची अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजने के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किये गये दावे की सत्यता की जाँच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात् मेधासूची को प्रशासी विभाग संशोधित कर सकेगा।
  - (ii) प्रधानाध्यापक के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र।

दिनांक-04.11.2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या-27/2023 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

94 10.11.1023

परीक्षा नियंत्रक(TRE-2), बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।